

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: सीआरओ/राआम/2020-21/108

दिनांक : 7/9/2020

कार्यालय आदेश

मण्डल की "ई" ऑक्शन, खुली नीलामी, मोहरबन्द निविदाओं के द्वारा मण्डल की सम्पत्तियों का विक्रय किया जा रहा है। नीलामी कार्यक्रम समिति में वित्तीय सलाहकार अथवा उनके प्रतिनिधि एक सदस्य है। कार्यक्रम में भाग लेने हेतु कार्यालय आदेश क्रमांक-95 दिनांक 25.08.2020 से वित्तीय सलाहकार के प्रतिनिधित्व हेतु संबंधित वृत्त के लेखाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में सहायक लेखाधिकारी-प्रथम को अधिकृत किया गया है। इसी भांति पूर्व में वित्तीय सलाहकार के प्रतिनिधित्व हेतु संबंधित वृत्त के लेखाधिकारी अथवा उनकी अनुपस्थिति में सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, जिन ई-ऑक्शन में सम्मिलित हुये, की भी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। सहायक लेखाधिकारी-प्रथम से नीचे स्तर का कर्मचारी/अधिकारी प्रतिनिधि नहीं होगा।


वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा.आ.मं.,-----।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
5. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
6. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-----रा.आ.मं.,-----।
7. रक्षित पत्रावली/कार्यालय आदेश पत्रावली


वित्तीय सलाहकार